

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937

No. 697]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/KARTIKA 21, 1937

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2015

**सा.का.नि. 852(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं** - (1) - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अध्यक्ष' से राष्ट्रीय डिजाइन की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) 'निदेशक' से राष्ट्रीय डिजाइन का निदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) 'चयन समिति' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

**3. निदेशक की नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि--** कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन में मास्टर डिग्री नहीं है ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए।

**4. नियुक्ति की पद्धति--** (1) निदेशक के पद पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।  
(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

**5. निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. पदावधि-** निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

**8. पद त्याग और समाप्ति-** (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता है तो अध्यक्ष को लिखित रूप में तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(2) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया है ; या

(ख) उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ड.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परन्तु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा।

**9. मुख्यालय या तैनाती का स्थान** - निदेशक का मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में होगा।

**10. निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि-** निदेशक, पीबी-4, 37400-67000 रु. जमा ग्रेड वेतन 10000 रु. और ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के समान ग्रेड वेतन में किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है:

परन्तु यदि निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार बना है तो ऐसे निदेशक के वेतन में से पेंशन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेंशन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया है या आहृत किया जाना है, घटाया जाएगा:

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

**11. यात्रा भत्ता-** निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होंगे।

**12. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी-** अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा।

**13. विदेश में सरकारी यात्राएं-** निदेशक द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध में ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं।

**14. चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं-** निदेशक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन में नहीं हैं, वहां निदेशक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 में यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

**15. आवास-** निदेशक केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा लागू निवासी आवास का हकदार होगा।

**16. वाहन की सुविधा-** निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा।

[फा. सं. 5/24/2013-आईपीआर-V]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2015

**G.S.R. 852(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 18 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, regulations, the method of recruitment, salary, allowances, and other conditions of service for the post of Director in the National Institute of Design, Ahmedabad namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Director, National Institute of Design (Recruitment, Salary, Allowances and other Condition of Service) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Governing Council of the National Institute of Design;

(c) 'Director' means the Director of the National Institute of Design;

(d) 'Institute' means the National Institute of Design;

(e) 'Selection Committee' means a Selection Committee constituted by the Central Government under sub-section (2) of section 18 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the National Institute of Design Act, 2014 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

**3. Education qualifications, experience etc. for appointment of Director.**- A person shall not be appointed as Director, unless he.-

(a) has Masters Degree in Engineering or Technology or Design;

(b) should have minimum of fifteen years experience in teaching or Industry or Research;

(c) should have proven record of significant contributions made in the field of Technology or design with national or international exposure.

**4. Method of Appointment.**— (1) Recruitment to the post of Director shall be made by a Selection Committee constituted by the Central Government.

(2) The Selection Committee shall follow its own procedure for recommending a suitable person for the post of Director.

**5. Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the competent authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Term of office.**- The Director shall hold the office for a term of five years from the date on which he enters upon office or attains the age of sixty years whichever is earlier.

**8. Resignation and termination** - (1) The Director shall give three months prior notice in writing to the Chairman, if he intends to resign from the post:

Provided that the Director shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish the post sooner, continue to hold the post until the expiry of the period of notice or until the time a person duly appointed as his successor joins or until the expiry of his term, whichever is earlier.

(2) The Central Government may, remove a person from the post of Director -

(a) who has been adjudged an insolvent; or

(b) who has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) who has become physically or mentally incapable of acting as Director; or

(d) who has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Director; or

(e) who has so abused his position as to render his continuance in the post prejudicial to the public interest, or

(f) on ground of misconduct, misbehavior or incapacity:

Provided that the Director shall not be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (f) without giving him a reasonable opportunity of being heard and holding an enquiry in this regard by a Committee constituted by the Central Government

**9. Head Quarter or place of posting.**- The headquarter of the Director shall be at Ahmedabad, Gujarat.

**10. Salary, allowances etc. of the Director.**- The Director shall be entitled to a monthly salary in PB-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 10,000 and to such allowances and other benefits, as are admissible to an officer of the Central Government in the same grade pay:

Provided that in case a person appointed as a Director, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other form of retirement benefits, the pay of such Director shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Director shall be varied to the disadvantage after his appointment.

**11. Travelling Allowances.**- The Director, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join National Institute of Design or on the expiry of his term with the National Institute of Design to proceed to his home town) shall be entitled or travelling allowance etc., as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

**12. Leave Sanctioning Authority.**- The Chairman shall be the leave sanctioning authority of Director.

**13. Official visits abroad.**- Official visits abroad by the Director shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Chairman and with the approval of Central Government, and he shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits at the same rates as are applicable to an officer of equal status of the Central Government.

14. **Facility for medical treatment.**— The Director shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Health Services and in places where Central Health Services are not in operation, Director shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

15. **Accommodation.**— The Director shall be entitled for residential accommodation as applicable to an officer of equal status of the Central Government.

16. **Facility of conveyance.**— The Director shall be entitled for conveyance facilities as admissible to an officer of equal status of the Government. of India.

[F. No. 5/24/2013-IPR-V]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.